# BCCI BULLETIN

Vol. 55 | July 2024 | No. 07

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES


# सभी वर्गों को साधता संतुलित बजट

## केन्द्रीय बजट 2024-25 पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों की प्रतिक्रिया

आम बजट 2024-2025 का लाइव प्रसारण देखते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिनांक 23.7.2024 को आम बजट पेश किया। इसे लेकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में 'केन्द्रीय बजट : 2024-25' पर परिचर्चा आयोजित की गयी परिचर्चा में शहर के नामी-गिरामी कारोबारी मौजूद रहे। बजट सत्र के दौरान जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की चर्चा की, तो पूरा माहौल बदल गया, सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। सबने कहा, केन्द्रीय बजट में बिहार को सड़क व पावर प्रोजेक्ट को लेकर 58,900 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसके तहत तीन एक्सप्रेस वे, बिजली संयत्र, महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर सहित कई नयी योजनाएँ हैं, जिससे बिहार के विकास को तेज गति मिलेगी।

1. **इस बजट से शिक्षा को नयी स्केल मिलेगी। यह मिडिल क्लास को नयी ताकत देगी**
2. **30 लाख युवाओं को मिलेगा पीएफ अंशदान और एक करोड़ युवाओं को इटर्नशिप**
3. **नये अवसर और नयी ऊर्जा लेकर आया है बजट, जो नये रोजगार का सृजन करेगा**

"पहली बार बिहार पर अधिक ध्यान देते हुए बजट पेश किया गया है। इंफ्रास्ट्रकचर, टूरिज्म, रोड, एयरपोर्ट विकसित करने का निर्णय सराहनीय है। इस बार बजट में बिहार की चर्चा हुई, यह अच्छी बात है। कारोबारियों, युवाओं, किसानों, छात्रों, कामगारों आदि को ध्यान में रखा गया है।"

– **पी. के. अग्रवाल,** पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इडस्ट्रीज

"बिहार के संदर्भ में बजट बहुत अच्छा है। केन्द्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी, पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जायेगा। ये स्वागत योग्य है। ये पूरी तरह से संतुलित बजट है।"

– **आशीष शंकर,** उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इडस्ट्रीज

"बजट में कृषि, पर्यटन ओर एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये ऐसे सेक्टर हैं, जो देश व राज्य की जीडीपी में ग्रोथ करते हैं और रोजगार के अवसर देते हैं।

संतुलित बजट में कुछ कमियां भी हैं, इसमें सुधार की अपेक्षा की जाती है। बजट में विकास को फोकस किया गया है।"

– **पशुपति नाथ पांडेय,** महामंत्री, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"राजगीर में धार्मिक कॉरिडोर बनाये जाने के साथ विष्णुपद व महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर बनाये जाने से पर्यटन को काफी बल मिलेगा। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी, राज्यवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।"

– **सुबोध जैन,** कोषाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"सरकार का गयी कर प्रणाली पर विशेष जोर है। साथ ही वेतन भोगी करदाता को मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गयी है। बिहार के लिए जो घोषणा की गयी है उससे बिहार को बहुत लाभ मिलेगा।"

– **सुनील सराफ,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"यह सुखद है कि बजट में 2600 करोड़ के प्रावधान के साथ राज्य में तीन एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए प्रस्ताव लाया गया है। काशी विश्वनाथ की तरह बोध गया कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित किया है जो की निसंदेह राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगा।"

– **आलोक पोद्दार,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"शिक्षा, रोजगार, कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर व मेन्यूफेक्चरिंग पर बिहार को अधिक पैकेज पर ज्यादा जोर दिया गया है। एक लाख से 1.5 करोड़ का विशेष पैकेज मिला है। बिहार में रोड, सिंचाई, एक्सप्रेसवे, नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी खोलने की घोषणा की गयी है।"

– **अजय गुप्त,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(शेष पृष्ठ 3 पर)

## अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिनांक 23 जुलाई, 2024 को रू0 48.21 लाख करोड़ का बजट संसद में पेश किया। यह बजट स्वागत योग्य है। बजट में कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार एवं कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है। बिहार को इस बजट में काफी कुछ मिला है।

बिहार में पटना–पूर्णियॉ, बक्सर–भागलपुर, बोधगया–राजगीर –वैशाली–दरभंगा एक्सप्रेसवे का विकास एवं उसके लिए 26000 करोड़ का आबंटन, नये मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट का निर्माण, बिहार को बाढ़ से बचाव हेतु नदियों को जोड़ने हेतु 11500 करोड़ की मंजूरी एवं इस हेतु नेपाल से वार्त्ता कर इसका समाधान करना, अमृतसर–कोलकाता गलियारा पर गया में औद्योगिक केन्द्र को शीघ्र विकसित करना, एमएसएमई के लिए विशेष पैकेज, राजगीर का समग्र विकास, नालन्दा विश्वविद्यालय एवं पर्यटन को विकसित करना, राजगीर में सप्तऋषि मंदिर, गया में महाबोधि मंदिर एवं विष्णुपद मंदिर को काशी के तर्ज पर विकसित करना, गंगा नदी पर बक्सर में दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण, 21400 करोड़ रूपये की लागत से विद्युत परियोजनाओं का विकास, पीरपैती में 2400 मेगावाट के एक नये संयत्र की स्थापना, खेलकूद की बुनियादी संरचना आदि की घोषणा स्वागतयोग्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार धन्यवाद का पात्र है और आशा है कि इससे बिहार के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी।

बजट में 100 आईटीआई का उन्नयन, 12 नये इण्डस्ट्रीयल हब का निर्माण, पी0एम0 आवास योजनान्तर्गत 3 करोड़ आवासों का निर्माण, 100 बड़े शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं जलापूर्ति को सुदृढ़ करना, एक करोड़ घरों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, एमएसएमई को कर्ज हेतु सिडबी की और शाखाएं खोलना, 6 माह में आयकर कानूनों की समीक्षा, कर विवादों का 6 माह में निष्पादन, विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव, स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु एंजल फण्ड पर टैक्स की समाप्ति, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75 हजार करना भी देशहित एवं राज्य हित में स्वागतयोग्य घोषणा है।

इस बजट में ईस्टर्न इंडिया के विकास पर बल देने के साथ भारत के अन्य राज्यों यथा उड़ीसा, उत्तराखण्ड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्रा प्रदेश आदि को प्रमुखता दी गयी है। **चैम्बर द्वारा प्रेषित बजट पूर्व ज्ञापन में माननीया वित्त मंत्री को कई सुझाव दिये गये थे। उनमें से कई सुझाव पर माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने ध्यान दिया है विशेष कर बिहार को बाढ़ से नियंत्रण हेतु नदी जोड़ योजना की स्वीकृति। इसके लिए माननीया वित्त मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ।**

**औद्योगिक इकाईयों में CNG/LNG/PNG के उपयोग के सम्बन्ध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा गजट अधिसूचना संख्या–2 दिनांक 12 मार्च, 2024 की प्रति सदस्यों की सूचनार्थ उनके इमेल/WhatsApp पर भेज दी गयी है ।**

**पेट्रोल पम्प के स्थापनार्थ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत मार्ग दर्शिका के अनुपालन के सम्बन्ध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या 4 दिनांक 14 जून, 2024 की प्रति भी सदस्यों की सूचनार्थ उनके इमेल/WhatsApp पर भेज दी गयी है।**

**बिहार में फिल्म उद्योग की प्रगति हेतु एवं इससे जुड़े व्यवसायों में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु "बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024" लाई गयी है। उक्त सम्बन्ध में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट संकल्प संख्या 2/वि060–112/2022–645 दिनांक 19 जुलाई, 2024 की प्रति सदस्यों की सूचनार्थ चैम्बर द्वारा उनके इमेल/WhatsApp पर प्रेषित की गयी है।**

जीएसटी परिषद् के सिफारिशों के आलोक में वाणिज्य–कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया है। उक्त सम्बन्ध में वाणिज्य–कर विभाग द्वारा जारी गजट अधिसूचना **S.O. 245, 246 एवं 247 दिनांक 15 जुलाई, 2024** की प्रति भी सदस्यों की सूचनार्थ उनको भेज दी गयी है।

अब बिहार में बिना निबन्धन के लिफ्ट और एस्केलेटर संचालित नही हो सकेंगे। राज्य के सभी भवनों और प्रतिष्ठानों में पहले से लगे और भविष्य में लगने वाले लिफ्ट व एस्केलेटर का विद्युत निरीक्षणालय से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिहार विधान सभा ने बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 पारित कर दिया है। इसका पालन नहीं करने वालों को तीन माह तक की जेल या 50 हजार का जुर्माना या दोनों दण्ड का प्रावधान है। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद के अलावा कोई भी न्यायालय इसके अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकेगा।

मोटर वाहन की तरह लिफ्ट और एस्केलेटर के उपयोग के दौरान किसी दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्त्ति हेतु थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रावधान होगा। इससे किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट या अपंगता की स्थिति में बीमा के नियमानुसार पीड़ित व्यक्तियों का समुचित इलाज एवं आर्थिक नुकसान की भरपायी हो सकेगी।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में **दिनांक 15 जुलाई, 2024 को राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के द्वारा एक ट६ लिंक का शुभारंभ किया गया है** जिसके माध्यम से देश के लाखों व्यापारी बोर्ड से सीधे जुड़कर अपनी समस्या एवं सुझाव बोर्ड तक पहुंचा सकेंगे। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड से संबंधित 9 विभागों के अधिकारीगण भी सम्मिलित हुए।

**यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से देश के व्यापारी बन्धु एक मंच पर अपनी बात कह सकेंगे। इससे विकसित भारत के संकल्प को गति मिलेगी और व्यापारियों को त्वरित समाधान मिलेगा।**

बन्धुओं, जुलाई माह में चैम्बर की कई बैठकें हुई है जिसकी जानकारी इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

**सादर,**

आपका
**सुभाष पटवारी**

(पृष्ठ 1 का शेष)

"वित्त मंत्री, ने सोना-चाँदी के कस्टम ड्यूटी में कटौती करने की हमारी पुरानी मांग मान ली है। सोने और चांदी के ड्यूटी को घटाकर छह फीसदी किया गया है। उपभोक्ताओं को कटौती के कारण सोना व चाँदी अब सस्ती दर पर उपलब्ध होगा।" – **विनोद कुमार,** अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ

"सरकार ने पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओ का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से 15 हजार रुपये तक का डायरेक्ट बेनेफिट ट्राँसफर की पेशकश की है, जो तीन किस्तों में दी जायेगी। दो वर्ष तक 3000 रु तक का अंशदान देने की पहल काफी अच्छी है।"

– **सुधि रंजन,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"मैं कौशल विकास योजनाओं का स्वागत करता हूँ, एक हजार नये औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अच्छा कदम है। इंटर्नशिप में पाँच हजार रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय भी बढिया है पर सोलर पैनल की कीमत में कोई बढ़ोतरी अच्छी नहीं है।"

– **मुकेश कुमार,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। इस बार राज्य को विकसित बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर ओर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है। राजगीर का व्यापक विकास किया जायेगा।"

– **मुकेश जैन,** पूर्व उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बिहार के लिए बजट बढ़िया है। नेपाल से बाढ़ के पानी को रोकने का निर्णय का स्वागत करते हैं। इनकम टैक्स में भी छूट का प्रावधान दिया गया। सोने-चाँदी में छूट व युवाओं को कुशल बनाने और इंटर्नशिप के लिए पैसे देने का प्रस्ताव अच्छा निर्णय है। कुल मिलाकर इस बार का बजट सबके लिए अच्छा है।"

– **मो. बहजाद करीम,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बजट बहुत उत्साहवर्धक भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि बिहार में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर व टूरिज्म का विकास हमारे हित में है। खासकर नेपाल-भारत फ्लड को रोकने का निर्णय अच्छा है। वही यूथ, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर आदि पर विशेष प्रावधान रहता तो और बेहतर रहता।"

– **अनिल कुमार माहेश्वरी,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बजट में लघु उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी की स्कीम लागू की गयी है। जिनमें कहीं न कहीं रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेगी। वहीं युंवा व महिलाओं के लिए बाकायदा राशि का उल्लेख किया गया है। रोजगार की दिशा में भी 5 साल में 4.01 करोड़ होजगार के प्रयास का वादा है पर मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली है।" – **राजेश माखरिया,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बजट ओवर ऑल अच्छा रहा। हालांकि, प्लास्टिक का प्रयोग ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग ही करते हैं। इसके महँगे होने से प्रभाव पड़ेगा। बाकी, टैक्स के लिए अच्छी योजना बनायी है। पीएम स्वनिधि योजना से कई लोग लाभान्वित होंगे। अब जीएसटी वाले जायेंगे तो टैक्स में वृद्धि होगी। यह अच्छी पहल है।"

– **राकेश कुमार,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"टैक्स में राहत देने से मध्यमवर्ग के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बजट में बिहार को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना भी अच्छा कदम है। इसका स्वागत करते हैं। इससे हर वर्ग व हर क्षेत्र में विकास होगा। सीतारमण ने इस बजट में बिहार को दिल खोलकर सुविधाओं की सौगातों का पूरा पिटारा खोल दिया है।" – **पवन कुमार,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बजट में बिहार के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। बजट में नौ सूत्री रोड मैप के तहत कार्ययोजना बनायी गयी है। जहाँ तक प्रत्यक्ष करों का सवाल है, इस बजट में भी किसी विशेष तरह का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाये तो केन्द्रीय बजट के विकास का रोड मैप है।"

– **आशीष प्रसाद,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बिहार के कई नये एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट व प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास से विभिन्न धर्मों के पर्यटकों का विस्तार होगा। इससे हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिलेगा। पाँच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलप करना भी देश के ग्रोथ के लिए अच्छा है।"

– **गणेश खेतड़ीवाल,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बिहार में चार नये एक्सप्रेस-वे बनाने के प्रस्ताव से काफी विकास होगा। पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेस वे, बक्सर से भागलपुर के बीच हाइवे बनाने की बात कही गयी है। साथ ही, बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा, इसका स्वागत करते हैं।"

– **सावल राम डोलिया,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

"बजट बहुत अच्छा है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तीन से चार प्रस्तावों पर पहले से ही चर्चा की गयी थी। बिहार को फ्लड फ्री करने पर पहला स्टेप लिया गया है। एयरपोर्ट, स्किल व मेडिकल इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट की डिमांड थी, बजट में इसे पेश किया गया। कुल मिलाकर इस बार का बजट काफी सराहनीय है।"

– **ए. के. पी. सिन्हा,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 24.7.2024)

## बजट में

**सस्ता** कैंसर की तीन दवाएँ, मोबाइल फोन व पुर्जे, चार्जर, एक्सरे ट्यूब, 25 अहम खनिज, फिश फीड, देशी चमड़े, कपड़े व जूते, सोना-चाँदी प्लेटिनम, सोलर व इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण

**महँगा** दूरसंचार उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन एवं पंट्रोकेमिकल्स

(साभार : प्रभात खबर, 24.7.2024)

### बजट की 10 बड़ी बातें

• **गरीब कल्याण अन्न और आवास :** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पाँच साल के लिए बढ़ाने का फैसला। इसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनेंगे • **रोजगार व कौशल प्रशिक्षण पर खर्च :** 1 लाख रुपये से कम वेतन होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्ट्रेशन पर 15 हजार की मदद। 2 लाख करोड़ इन पर होंगे खर्च • **एजुकेशन लोन ब्याज में भी छूट :** युवाओं को घरेलू संस्थानों में दाखिले के लिए 10 लाख तक लोन, ऋण में 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के छूट के लिए ई-वाउचर • **महिला-बालिका विकास को बढ़ावा :** महिला द्वारा संचालित विकास योजनाओं को बढ़ावा। इनके लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित • **नयी कर व्यवस्था में छूट :** वेतनभोगी के लिए नये टैक्स रिजीम में अब 7 लाख तक आय कर मुक्त। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर रु. 75 हजार • **एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा :** एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन की सीमा को रु 10 लाख से बढ़ाकर रु 20 लाख कर दिया गया • **पूर्वोदय योजना पाँच राज्यों में :** बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विभिन्न विशेष योजनाएँ • **युवाओं को लाभ इंटर्नशिप का मौका :** अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, 5 हजार रुपये हर माह मिलेगा स्टाइपेंड • **सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना :** 1 करोड़ घरों को 300 युनिट तक हर माह फ्री बिजली, 3 केवी क्षमता सोलर पैनल लगाने से सालाना 15 हजार की बचत • **किसान व कृषि क्रेडिट कार्ड :** कृषि व संबंद्ध क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़। पाँच नये राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए मदद। (साभार : प्रभात खबर, 24.7.24)

## चैम्बर द्वारा केन्द्रीय बजट का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 23 जुलाई 2024 को माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पेश आम बजट का स्वागत करते हुए कहा कि बजट में कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार, कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने कहा कि बिहार में पटना-पूर्णिया,

(शेष पृष्ठ 5 पर)

# वाणिज्य-कर विभाग की ओर से जीएसटी दिवस-2024 के आयोजन में चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ

वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार की ओर से दिनांक 1 जुलाई, 2024 को जीएसटी दिवस 2024 का आयोजन में मंचासीन माननीय उप-मुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री श्री सम्राट चौधरी, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, राज्य कर आयुक्त सह सचिव डॉ. प्रतिमा एवं अन्य अधिकारीगण।

कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में माननीय उप-मुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री श्री सम्राट चौधरी एवं राज्य कर आयुक्त सह सचिव डॉ. प्रतिमा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी को पौधा भेंट कर सम्मानित करते वाणिज्य कर अधिकारी।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, जीएसटी उप समिति के सह-संयोजक श्री सुनील सराफ एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अभिजीत बैद।

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की ओर से दिनांक 1 जुलाई, 2024 को जीएसटी दिवस-2024 का आयोजन माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वाणिज्य कर मंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कर भवन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर विशेष आमंत्रण पर चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में शामिल हुआ। चैम्बर अध्यक्ष के अलावा चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, जीएसटी उप समिति के सह-संयोजक श्री सुनील सराफ एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अभिजीत बैद प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इस अवसर पर राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव डॉ. प्रतिमा एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

श्री सुभाष पटवारी, अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। उन्हें पौधा भेंटकर सम्मानित किया गया। चैम्बर अध्यक्ष ने कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

( पृष्ठ 3 का शेष )

बक्सर-भागलपुर, बोधगया-राजगीर-वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे का विकास एवं उसके लिए 26000 करोड़ का आवंटन, नये मेडिकल कॉलेज एवं एयरपोर्ट का निर्माण, बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए नदियों को जोड़ने हेतु 11500 करोड़ की मंजूरी एवं इस हेतु नेपाल से वार्ता कर इसका समाधान कराना, अमृतसर-कोलकाता गलियारा पर गया में औद्योगिक केन्द्र को शीघ्र विकसित करना, एमएसएमई के लिए विशेष पैकेज, राजगीर का समग्र विकास, नालन्दा विश्वविद्यालय एवं पर्यटन को विकसित करना, राजगीर में सप्तऋषी मंदिर, गया में महाबोधि मंदिर एवं विष्णुपद मंदिर को काशी के तर्ज पर विकसित करना, गंगा नदी पर बक्सर में दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण, 21400 करोड़ रूपये की लागत से विद्युत परियोजनाओं का विकास, पिरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए संयंत्र की स्थापना, खेलकूद की बुनियादी संरचना का निर्माण की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए केन्द्र सरकार धन्यवाद का पात्र है और आशा है कि इससे बिहार के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। श्री पटवारी ने आगे कहा कि 100 आईटीआई का उन्नयन, 12 नये इंडस्ट्रीयल हब का निर्माण, पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण, 100 बड़े शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं पानी की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाना, एक करोड़ घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एमएसएमई को कर्ज के लिए सिडबी की और शाखाएं खोलना, 6 माह में आयकर कानूनों की समीक्षा, टैक्स विवादों का 6 माह में निष्पादन, विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव, स्टार्टअप को बढ़ावा के लिए एंजल फण्ड पर टैक्स का समापन, स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75 हजार करना भी स्वागत योग्य घोषणा है।

बजट में इस्टर्न इंडिया के विकास पर बल देने के साथ-साथ भारत के अन्य राज्यों यथा उड़ीसा, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश आदि को भी प्रमुखता दी गयी है।

## केन्द्रीय बजट 2024 में बिहार को क्या मिला

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58900 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 26 हजार करोड़ का फंड बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च किया जाएगा। राज्य में तीन एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएँगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में दिनांक 23 जुलाई, 2024 को इसकी घोषणा की। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण के लिए 11500 करोड़ रुपये और प्लांट के लिए 21400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, औद्योगिक हब, महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधा के विकास की घोषणाएँ भी कीं। इन पर खर्च होने वाली राशि उपरोक्त फंड में शामिल नहीं है।

**वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में बिहार को क्या-क्या मिला, यहाँ डालें एक नजर-**

• बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय बजट में 26 हजार करोड़ का प्रावधान • पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे बनाए जाएँगे • बोधगया से दरभंगा वाया राजगीर, वैशाली एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा • बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल निर्माण • गया में इंडस्ट्रियल हब विकसित होगा • बिहार में बाढ़ की समस्या के निदान हेतु नेपाल से बात करेगी भारत सरकार • बाढ़ नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बजट में 11500 करोड़ का फंड • बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर विकसित होगा • नालंदा, राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा • बिहार में कई एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम भी स्थापित होंगे • भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा • ऊर्जा क्षेत्र विकसित करने के लिए बिहार को 21400 करोड़ की सौगात • बिहार को इनवेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त फंड दिलाया जाएगा। **( साभार : लाइव हिन्दुस्तान, 23.7.2024 )**

## रेलमंत्री ने कहा – बिहार को यूपीए कार्यकाल से नौ गुनी राशि मिली

केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारतीय रेलवे को रिकॉर्ड धनराशि 2,62,200 करोड़ आवंटित की गई है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। बिहार के लिए रेलवे को आवंटित धनरशि का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीए के कार्यकाल 2004 से 2014 में बिहार में रेलवे के विकास के लिए 1,132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर 10 हजार 33 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछली सरकार की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि बिहार में रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बिहार में 79356 करोड़ की लागत से नई लाइन, दोहरीकरण, आमान आमान परिवर्तन की 55 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल छत्रसाल सिंह ने भी बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया।

**बड़े स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन लगेगी :** यात्रियों को स्टेशन पर जनरल टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए वन, ए और बी श्रेणी के स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन लगेगी। पूर्व मध्य रेलवे के पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र जंक्शन, डीडीयू, समस्तीपुर, आरा, गया, सोनपुर, मुजफ्फरपुर सहित अन्य स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन लगेगी। यात्रियों की संख्या के अनुसार मशीन लगेगी। इसके लिए बजट में करीब ढाई करोड़ रुपए मिले हैं। **( साभार : दैनिक भास्कर , 25.7.2024 )**

# सेंट्रल जीएसटी की ओर से 7वाँ जीएसटी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में चैम्बर शामिल हुआ

कार्यक्रम में मंचासीन सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त श्री अजय सक्सेना, आयुक्त श्री एम. के. सारंगी, चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, एसजीएसटी के विशेष आयुक्त श्री के. के. सिन्हा एवं अन्य।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी को पौधा भेंटकर सम्मानित करते सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त श्री अजय सक्सेना।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

कार्यक्रम में सम्मिलित चैम्बर महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय।

सेंट्रल जीएसटी की ओर से 7वाँ जीएसटी दिवस का आयोजन दिनांक 1 जुलाई, 2024 को जीएसटी भवन, पटना में किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रण पर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय शामिल हुए।

इस अवसर पर सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त श्री अजय सक्सेना, आयुक्त श्री एम. के. सारंगी एवं एसजीएसटी के विशेष आयुक्त श्री के. के. सिन्हा एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष को इस अवसर पर एक पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। चैम्बर अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया।

## बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नदियों के जल प्रबंधन के लिए समिति बनाने का स्वागत किया

केन्द्र सरकार द्वारा नदियों के जल प्रबंधन के लिए पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन के निर्णय का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने स्वागत किया है। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने कहा कि हमलोग हमेशा से प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे कि विकास और विकसित उपकरणों के वर्तमान दौर में बिहार की सभी नदियों की गहराई को बढ़ाकर (गहरी गाद निकाल कर) राज्य को पूरी तरह से बाढ़मुक्त बनाया जाए। साथ ही बरसात के मौसम में हिमालय (नेपाल) और झारखण्ड-छत्तीसगढ़ की नदियों से आने वाले पानी को सिंचाई के लिए नहरों में बांध कर राज्य को पूरी तरह से सिंचित किया जाना चाहिए। इससे राज्य के लोग लाभान्वित होंगे। चावल, गेहूँ, मक्का आदि के उत्पादन में वृद्धि होगी। पटवारी ने मांग की कि समिति का दायरा बढ़ाकर दक्षिण बिहार की नदियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इससे बिहार को पूर्ण रूप से बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 5.7.2024)**

## पटना की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर पाँचवें स्थान पर

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुजफ्फरपुर जिले ने पूरे राज्य में सबसे तेज गति से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। इस दौरान इसकी आर्थिक गतिविधियों ने 120% की दर से रफ्तार पकड़ी है। इससे मुजफ्फरपुर की जीडीडीपी वित्तीय वर्ष 2021-22 के 45262 रुपए की तुलना में 9076 रुपए बढ़कर 54338 रुपए हो गई। यह आंकड़ा बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जिलों के जीडीडीपी आंकड़ों की जारी रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार जीडीडीपी में तेज गति से बढ़ोतरी करने वालों में 116

# पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक के साथ चैम्बर की बैठक

**कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, श्री सुधांशु शेखर दास, जोनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक एवं श्री आशुतोष कुमार झा, चेयरमैन, डीबीजीबी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।**

**श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर स्वागत एवं सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।**
**साथ में हैं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं श्री सुधांशु शेखर दास, जोनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक।**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 2 जुलाई 2024 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल के साथ बैठक हुई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने मुख्य अतिथि एवं आगन्तुकों का स्वागत करते हुए श्री गोयल से अनुरोध किया कि बिहार में अधिकाधिक उद्योग लगे इस दिशा में सरकार संकल्पित है परन्तु उसमें बैंकों का सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि पंजाब नेशनल बैंक इस दिशा में अपने प्रमुख भूमिका का निर्वहण करे। बिहार में भी पंजाब नेशनल बैंक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है जिसकी करीब 706 शाखाएं हैं। राष्ट्रीय ऋण जमा अनुपात 78 प्रतिशत के तुलना में बिहार राज्य का ऋण जमा अनुपात 56.86 प्रतिशत है, जो कम है। उसमें पंजाब नेशनल बैंक का ऋण जमा अनुपात 42.16 प्रतिशत है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि अधिकाधिक उद्योगों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके और आद्योगिकरण की गति तीव्र हो सके। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के स्थानीय वरीय पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे बराबर चैम्बर के साथ सम्पर्क में रहें जिससे कि राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय की उत्तरोतर प्रगति पर निरन्तर विचार-विमर्श होता रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक के विभिन्न योजनाओं को व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। **( शेष पृष्ठ 8 पर )**

प्रतिशत के साथ मुंगेर दूसरे और 114 फीसदी की दर हासिल कर रोहतास व भागलपुर जिला तीसरे स्थान पर हैं, वहीं 112 प्रतिशत के साथ बेगूसराय चौथे स्थान पर है, जबकि पटना जिला 108 अंकों के साथ पाँचवें पायदान पर है। निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में जिलों में चल रही कई आर्थिक गतिविधियों व उनकी प्रगति को पैमाना बनाया है। जीडीडीपी में मुजफ्फरपुर जिला छठे स्थान पर है, जबकि पटना लगातार एक दशक से पहले स्थान पर बना हुआ है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 13.7.2024 )**

## स्वच्छ जल के पैमाने पर बिहार तीसरे नंबर पर

राज्य सरकार की हर घर नल का जल योजना का असर दिखाई देने लगा है। राज्य के लोगों को स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में बिहार देश के कई विकसित राज्यों से भी आगे है। इस मामले में पूरे देश में बिहार का तीसरा स्थान है। यह खुलासा नीति आयोग की चौथी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की रिपोर्ट में हुआ है।

इस रिपोर्ट में सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिहाज से देश के सभी राज्यों की रैंकिंग तय की गयी है। स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में बिहार से आगे देश के केवल दो राज्य हैं, गोवा और हिमाचल प्रदेश। इस पैमाने पर यदि बात स्कोर का करेंगे तो गोवा और हिमाचल का स्कोर सौ में सौ है, जबकि बिहार का 98% व राष्ट्रीय औसत 89% है। पिछले साल जलशक्ति मंत्रालय ने बिहार को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया था। **( विस्तृत : प्रभात खबर, 16.7.2024 )**

## छात्रावास और प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी खत्म

बिहार के सभी रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने इन टिकटों पर राज्य के स्तर से लगने वाले जीएसटी को हटा दिया है।

पहले इन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था। अब इसके हटने से 10 रुपये में मिलने वाले टिकट की दर में 1 रुपये की कटौती हो सकती है। इसके अलावा बैट्री चलित वाहनों पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। पिछले महीने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय हुआ था। राज्य के वाणिज्य कर महकमा ने इससे

कार्यक्रम में सम्मिलित चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण एवं विभिन्न संगठनों से आये उनके प्रतिनिधिगण।

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का मेमेंटो एवं कॉफी टेबल बुक भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

( पृष्ठ 7 का शेष )

श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अपने सम्बोधन में कहा कि बिहार में ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने का हमारा दायित्व है और आश्वस्त करता हूँ कि जो भी उद्यमी उद्यम लगाने के लिए आगे आएंगे, बैंक उनको हर प्रकार से सहयोग करेगा क्योंकि उद्यमियों को पंजाब नेशनल बैंक की जरूरत नहीं हो लेकिन बैंक को उद्यमियों की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक में डिजिटलाइजेशन के उपरान्त हमारी सेवाएं काफी बेहतर हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आउटलेट का विस्तार किया है। उन्होंने राज्य में आई.टी. सेक्टर को बढ़ावा के लिए अधिकाधिक लोन दिए जाने हेतु उसके अध्ययन के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करके स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार में अच्छी से अच्छी सेवा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए। श्री गोयल ने व्यवसायियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिये।

जोनल मैनेजर श्री सुधांशु शेखर दास ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि वे चैम्बर से लगातार सम्पर्क में रहेंगे और व्यवसायियों को हर प्रकार के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे साथ ही उन्होंने चैम्बर से समय मांगा कि आप कोई समय दें जिससे कि सदस्यों को विस्तारपूर्वक बैंक के विभिन्न योजनाओं के संबंध में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया जा सके। इस कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक श्री अवधेश कुमार झा एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार झा भी शामिल हुए।

उक्त अवसर पर श्री अतुल कुमार गोयल को चैम्बर की ओर से मेमेन्टों एवं कॉफी टेबुल बुक भेंटकर सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम में बिहार चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, संयोजक श्री अभिषेक लोहिया, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री एन. के. ठाकुर, श्री अजय गुप्ता, श्री पवन भगत, श्री राजेश जैन, श्री आशीष प्रसाद, मो. बहजाद करीम, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री विकास कुमार, श्री निशांत सिंह एवं अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए।

संबंधित अधिसूचना को जारी कर दी है। प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा रेलवे की कई सेवाओं मसलन डॉरमेट्री, वेटिंगरूम, क्लॉक रूम भी जीएसटी मुक्त हो गया है। अब ये सेवाएँ थोड़ी सस्ती होंगी। हॉस्टल सेवाओं पर 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति माह तक की राशि पर जीएसटी की छूट दी गई है। यह छूट छात्रों के अलावा कामकाजी वर्ग के लिए भी है। इसका लाभ लेने को हॉस्टल में कम से कम 90 दिन रहना होगा। ( साभार : हिन्दुस्तान, 17.7.2024 )

## LIST OF BCCI REPRESENTATIVES FOR DIFFERENT GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES

| Sr. No. | Name of College | Name of Representative |
|---|---|---|
| 1 | Government Engineering College, Jehanabad | Shri S.K. Patwari President, BCCI |
| 2 | Gaya College of Engineering Gaya | Shri Anjan Biswas |
| 3 | Government Engineering College, Bhojpur | Shri Aditya Vijay Jain |
| 4 | Government Engineering College, Jamui | Shri Prafulchandra Trivedi |
| 5 | Government Engineering College, Lakhisarai | Shri Vikas Kumar |
| 6 | Government Engineering College, Munger | Shri Krishna Kumar Agarwal |
| 7 | Government Engineering College, Arwal | Shri Ashok Kumar |
| 8 | Government Engineering College, Gopalganj | Shri Sanjeev Kumar Pinky |
| 9 | Government Engineering College, Khagaria | Shri Ankit Tibrewal |
| 10 | Katihar Engineering College, Katihar | Shri Anil Kumar Chamaria |

# चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) से मिला

श्री जयंत मिश्रा, भा.रा.से., नव नियुक्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) को पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई देते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री जयंत मिश्रा, भा.रा.से. से विचार-विमर्श करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री जयंत मिश्रा, भा.रा.से. से दिनांक 23 जुलाई 2024 को राजस्व भवन स्थित कार्यालय में मिला एवं शुभकामनाएं दी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि यह एक औपचारिक भेंट वार्ता थी जिसमे एक-दूसरे का परिचय के साथ-साथ आयकर के पोर्टल में हो रही कठिनाइयों पर चर्चा हुई। उन्होंने आगे बताया कि नये प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) से चैम्बर आने का भी अनुरोध किया गया, जिसपर उन्होंने शीघ्र ही पधारने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश जैन तथा कार्यकारणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद, श्री सुनील सराफ, सीए अरुण कुमार एवं श्री अनिल पचीसिया शामिल थे।

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Saharsa College of Engineering, Saharsa | Shri Vivek Vishal |
| 12 | Sitamarhi Institute of Technology, Sitamarhi | Shri Rajesh Kumar Sundarka |
| 13 | Supaul College of Engineering, Supaul | Shri Dharmendra Kumar Singh |

## LIST OF BCCI REPRESENTATIVES FOR DIFFERENT GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGES

| S. N. | Name of College | Name of Representative |
|---|---|---|
| 1 | Government Polytechnic College, Jehanabad | Shri S. K. Patwari President, BCCI |
| 2 | Government Polytechnic College, Nawada | Shri Nishant Singh |
| 3 | Government Polytechnic College, Samastipur | Shri Paras Jain |
| 4 | Government Polytechnic College, Motihari | Shri Prabhakar Kumar |

## जीएसटी संग्रह में लगातार चौथे महीने तेज बढ़त जारी

सकल जीएसटी संग्रह जून में आठ प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-जून) में अब तक सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)संग्रह 5.57 लाख करोड़ रुपये रहा। जून में संग्रह मई 2024 के संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। उधर, जीएसटी लागू होने के सात साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने दिनांक 1.7.2024 को कहा कि इससे घरेलू उत्पादों और मोबाइल फोन के लिए कर की दरें कम हुई हैं और इससे हर घर को राहत मिली है। जीएसटी ने जीवनयापन को आसान बनाया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.7.2024)**

## सख्ती : जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बायोमेट्रिक होगी अनिवार्य

जीएसटी विभाग द्वारा फेक इनवॉइस द्वारा राजस्व को होने वाले नुकसान को देखते हुए नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में सख्ती और बढ़ा दी गयी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए यदि कोई व्यवसायी आधार वेरिफिकेशन का

# चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष आयकर विभाग (बिहार-झारखण्ड) की ओर से आयोजित 165वां आयकर दिवस समारोह में शामिल हुए

समारोह को संबोधित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

आयकर विभाग (बिहार-झारखण्ड) की ओर से दिनांक 24 जुलाई 2024 को 165वां आयकर दिवस समारोह का आयोजन राजस्व भवन, पटना के सभागार में किया गया।

इस समारोह में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से पूर्व अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल सम्मिलित हुए। श्री अग्रवाल ने समारोह को संबोधित भी किया।

विकल्प चुनता है, तो अब आवेदन में दी गयी जानकारी को जीएसटी पोर्टल द्वारा स्वत: डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के आधार पर उस आवेदन को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और स्थल निरीक्षण के लिए चुना जा सकता है.

सीए राजेश खेतान ने बताया कि अगर आवेदन रिस्क कैटेगरी के लिए चुना गया है तो वैसी स्थिति में स्थल निरीक्षण अनिवार्य हो जायेगा. साथ ही विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की फोटोग्राफी भी अनिवार्य होगी. लेकिन गैर वैयक्तिक संस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड किए गये सभी कागजातों की ऑरिजिनल कॉपी को कमिश्नर द्वारा अधिकृत फेसिलिटेशन सेंटर पर सत्यापित करवाना होगा. श्री खेतान ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन दिया जा सकेगा. जारी किये गये नोटिफिकेशन के बाद अब इसे पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया है. **( साभार : प्रभात खबर, 15.7.2024 )**

## उद्यमी योजना में एलईडी बल्ब व बिजली उपकरणों से जुड़े उद्योगों को सहायता

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग ने इस बार आटा, सत्तू, बेसन से इतर कई नए उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराए जाने वाली सूची में शामिल किया है । पूर्व की सूची में आटा, सत्तू व बेसन पहले नंबर पर रहा है। इस बार इससे अधिक प्राथमिकता नए उद्यमों को है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस बार पांच नए उद्यमों को शामिल किया गया है। उद्योग विभाग ने यह सर्वे कराया था कि बाजार में किस चीज की मांग अधिक है। इस क्रम में एलईडी बल्ब व बिजली से जुड़े उपकरण शामिल हैं। उद्योग विभाग के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि बाजार में एलईडी की मांग बहुत अधिक है और इसका बड़ा हिस्सा बाहर के राज्यों से यहां आ रहा है। एलईडी बल्ब की यूनिट लगाने में बहुत अधिक निवेश की जरूरत नहीं। इसलिए तय किया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एलईडी बल्ब की यूनिट लगाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त बिजली के बोर्ड व स्विच बनाने की यूनिट को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

**निर्माण कार्य में छड़ को बांधने वाले आयरन रिंग भी पहली बार शामिल:** सर्वे के क्रम में यह बात सामने आई कि बाजार में निर्माण में लगने वाले छड़ को बांधने वाले लोहे की रिंग को मैनुअल तरीके से बनाया जाता है। इसमें काफी समय लगता है। इसलिए रेडिमेड रिंग को तैयार किए जाने की यूनिट स्थापित करने को भी पहली बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल किया गया है।

**जूट व सोया बड़ी की यूनिट के लिए भी सहायता :** मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस बार जूट बैग व जूट से बनने वाले अन्य उत्पादों को भी शामिल किया गया है। बाजार में इसकी काफी मांग है पर यह उद्योग संगठित क्षेत्र के तहत नहीं है। इसी तरह इस बार सोया बड़ी को भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी शामिल किया गया है।

**शीर्ष के पांच उद्यमों आटा, सत्तू, बेसन व रेडिमेड :** पूर्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिन उद्यमों को सहायता मिली है, उनमें आटा, सत्तू व बेसन बनाने वाली यूनिट पहले और दूसरे नंबर पर रेडिमेड वस्त्र तैयार करने वाली यूनिटें शामिल हैं। इसके बाद आइटी क्षेत्र व होटल-ढाबा का नंबर है।

**( साभार : दैनिक जागरण, 15.7.2024 )**

## दनियावां में सीमेंट व सिकंदरपुर में बिस्कुट की लगेगी फैक्ट्री, इसी साल से उत्पादन शुरू

पटना के दनियावां में अल्ट्राटेक सीमेंट और सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में सोना बिस्कुट की यूनिट लगेगी। इसके साथ ही इनमें इसी साल से उत्पादन भी शुरू हो जायेगा। दरअसल, हाल में राज्य कैबिनेट में नौ निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लीयरेंस दिये गये। इनमें 661 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव हैं। इनमें सबसे मुख्य प्रस्ताव अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और सोना बिस्कुट यूनिट के हैं। इन दोनों की स्थापना में कुल 471 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 369 करोड़ का निवेश अल्ट्राटेक सीमेंट उत्पादन में और 110.32 करोड़ का निवेश सोना बिस्कुट निर्माण इकाई में है। सोना यूनिट वेफर्स, नूडल्स और बिस्कुट उत्पादन करेगी।

जानकारों के मुताबिक यह सभी नौ प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादन

# चैम्बर द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में मेहँदी प्रशिक्षण का शुभारम्भ

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में 23 जुलाई 2024 से महिलाओं के लिए मेहँदी प्रशिक्षण का शुभारम्भ हुआ जिसमें पहले से अन्य विषयों में प्रशिक्षणरत काफी प्रशिक्षनार्थी शामिल हुई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि सावन माह में प्रत्येक वर्ष कौशल विकास केंद्र में मेहँदी का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि इस कला के प्रति महिलाओं का लगाव बना रहे साथ ही वे अपने कौशल को और बढ़ा सकें। भारत में मेहंदी कला का इस्तेमाल महिलाएं अक्सर शादी विवाह एवं शुभ कार्यों के साथ-साथ सावन माह में करती हैं। मेहंदी कला प्रशिक्षित महिलाएं शादी-विवाह या अन्य मांगलिक अवसरों पर मेहंदी लगाकर धनोपार्जन भी कर सकती हैं।

श्री पटवारी ने कहा कि मेहँदी में सौन्दर्य लाभों के अलावा औषधीय गुण भी होते हैं इसका त्वचा पर ठंडा और सुखदायक प्रभाव होता है जो सूजन और जलन को कम करने में उपयोगी होता है।

में आ जायेंगे। इसके अलावा पटना में मेसर्स कालिंदी वेंचर्स स्टील उत्पाद यूनिट स्थापित करने में 35.35 करोड़ का, फतुहा में मेसर्स बी. के. वेयर हाउसिंग की स्थापना में 35.25 करोड़, पटना के दीदारगंज में मेसर्स त्रिलोकेश्वर एस्टेट करीब 37.34 करोड़, बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में पंचकन्या फूड प्रालि 54.34 करोड़ का निवेश करेगी। **( साभार : दैनिक जागरण, 15.7.2024 )**

## दूषित जल का शोधन कर फिर उपयोग होगा

राज्य के सभी शहरी निकायों में दूषित जल का फिर से उपयोग होगा। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। निकायों के घरों में इस्तेमाल पानी का शोधन कर पुन: उपयोग लायक बनाया जाएगा। इसका उपयोग सिंचाई, औद्योगिक इकाई, सड़क पर छिड़काव, पेड़-पौधे में पानी देने आदि में किया जाएगा। राजधानी पटना में बादशाही नाले के जरिए सिंचाई में इसका उपयोग हो रहा है। इसे व्यापक बनाए जाने की योजना है।

इसी तरह राज्य के अन्य शहरी निकायों में भी योजना लागू करने की तैयारी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी शहरी निकायों में काम चल रहा है । बड़े शहरों में एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाए जा रहे हैं। छोटे शहरी निकायों में एफएसटीपी (फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत शहरी निकायों को जलप्रबंधन के उपाय करने होंगे। इसके लिए नगर विकास विभाग की ओर से 163 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। **( साभार : हिन्दुस्तान, 15.7.2024 )**

## बिहार में जल्द तैयार होगी भूजल निकासी नियमावली

**पानी के अवैध कारोबारियों और जहां-तहां बिना एनओसी के बोरिंग करने वालों पर लगेगा अंकुश**

बिहार में भूजल संकट को कम करने के लिए जल्द ही भूजल निकासी के लिए नियमावली तैयार की जायेगी. इसको लेकर पीएचइडी, जल संसाधन और लघु जल संसाधन विभाग सहित पंचायती राज विभाग मिलकर एक नियमावली तैयार करने में जुटी है, ताकि बिहार के लगभग जिलों में पानी की बर्बादी और अवैध रूप से चल रहे पानी के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। मुख्य सचिव के स्तर पर भूजल में गिरावट को लेकर पिछले दिनों बैठक हुई थी, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे.

वहीं, समीक्षा में यह बात सामने आयी है कि हर दिन बिहार के हर जिले से लाखों लीटर पानी निकाला जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार के स्तर पर अभी तक सख्ती से कोई नियमावली नहीं बनायी गयी है. जिसके बाद नियमावली बनाने का काम तेजी से हो रहा है.

जल्द ही सरकार के स्तर पर समीक्षा के बाद इसे लागू किया जायेगा, जिसमें सरकारी और निजी बोरिंग के लिए भी नियम होंगे।

**( विस्तृत : प्रभात खबर, 15.7.2024 )**

## नए 31 औद्योगिक क्षेत्र की स्वीकृति से बिहार में होगी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत : मंत्री

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 31 जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मिली सैद्धांतिक सहमति, बिहार में नए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार (बियाडा ) द्वारा 7592.39 एकड़ क्षेत्र में कुल नौ क्लस्टर व 84 औद्योगिक क्षेत्र व विकास केंद्र स्थापित हैं। इनमें से 1861.03 एकड़ जमीन आवंटन के लिए शेष हैं। राज्य में लगातार बढ़ते औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए नए उद्योगों की स्थापना के लिए अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी क्रम में 31 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार भू-अर्जन किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास आवागमन में सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य उच्च पथ के समीप भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सात जिले ऐसे हैं जहां अभी तक औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। उन सात जिलों में प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

**( साभार : दैनिक जागरण, 13.7.2024 )**

## सूबे के नौ औद्योगिक क्लस्टर में सिर्फ 1558 एकड़ का रह गया है लैंड बैंक

बिहार निवेश प्रोत्साहन पर्षद की हर माह और बियाडा की भूमि आवंटन को लेकर प्रति सप्ताह होने वाली बैठक के परिणाम अब आने लगे हैं। निवेश धरातल पर उतरने लगे हैं। बिहार में नौ औद्योगिक क्लस्टर में केवल 1558 एकड़ का लैंड बैंक हैं। करीब एक दर्जन से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए जमीन बची ही नहीं है। बियाडा की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किशनगंज में इंडस्ट्रियल एरिया (आइए) भेदियादांगी और खगारा, मधेपुरा जिले में उदाकिशनगंज, पटना क्लस्टर में नौबतपुर के कोपाकला, दरभंगा जिले में

# चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में शामिल हुए

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 24 जुलाई, 2024 को श्री आलोक रंजन घोष, भा.प्र.से., प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल शामिल हुए।

बेलागंज, मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र लोहट फेज टू और फेज थ्री, समस्तीपुर औद्योगिक क्षेत्र, गया, नवादा, वारिसिलिगंज और विक्रमगंज, गोपालगंज में हथुआ फेज टू और फेज थ्री औद्योगिक क्षेत्र, सीवान क्लस्टर में न्यू सीवान फेज वन और औद्योगिक क्षेत्र सीवान और मुजफ्फरपुर क्लस्टर में महबल में औद्योगिक लैंड बैंक खत्म हो गया है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) खगड़िया, लखीसराय और सीताकुंड औद्योगिक क्षेत्र में जमीन नहीं बची है।

**बिहार में उपलब्ध लैंड बैंक की यह है स्थिति :** बिहार में क्लस्टर वाइज कुल लैंड बैंक 1558 एकड़ का है. इसमें बेगूसराय क्लस्टर में 150.63 एकड़, भागलपुर सहरसा और पूर्णिया में 217 , दरभंगा में 112.72, गया में 108.73, हाजीपुर में 19, मुजफ्फरपुर में 36.33, मोतीपुर में 500.36, पटना में 15.40 और बिहटा क्लस्टर में 398 एकड़ मोतीपुर में 500.36, पटना में 15.40 जमीन का लैंड बैंक मौजूद है.

आंकड़ों से साफ पता चलता है कि पटना, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर क्लस्टर में भी बहुत कम औद्योगिक जमीन खाली बची है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बिहार में औद्योगीकरण ने गति पकड़ी है।

**( साभार : प्रभात खबर, 9.7.2024 )**

## गया के डोभी में 6000 करोड़ होगा निवेश

गया के डोभी में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसी-डीआईटी) ने यहां एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस कदम से बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को नई गति मिलने की उम्मीद है। 1670 एकड़ पर फैले हुए औद्योगिक पार्क बनाने पर 1343.70 करोड़ की लागत आएगी। यहां 6009 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। इससे एक लाख नौ हजार 185 नौकरियां सृजित होंगी। डोभी में बन रहा औद्योगिक पार्क अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना का हिस्सा है। जीटी रोड पर स्थित होने के कारण यहां की कनेक्टिविटी अच्छी है। झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। पटना गया डोभी राजमार्ग पर होने के कारण यहां राज्य की राजधानी से पहुंचना भी आसान है ।

रेल नेटवर्क और हवाई अड्डा की भी कनेक्टिविटी है। इस कारण पूर्वी, उत्तरी और उत्तर-पूर्व भारत के विशाल बाजारों के साथ-साथ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक माल ले जाना आसान होगा। यहां प्लग एंड प्ले योजना के तहत भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

**इन क्षेत्रों में होगा निवेश :** आईएमसी गया में निवेश के लिए कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कृषि/खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील-आधारित उत्पाद, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, निर्माण उद्योग, फर्नीचर, हस्तशिल्प और हथकरघा शामिल है।

**रोजगार के अवसर बढ़ेंगे :** राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के बनने के बाद रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अलग-अलग क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलेंगे। बाहर काम कर रहे कामगारों को भी घर लौटने में मदद मिलेगी। उद्योग विभाग का कहना है कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के साथ गया अब औद्योगिक गतिविधि का केंद्र बनने के लिए तैयार है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 11.7.2024 )**

## पेट्रोलियम डीलर्स को वैट रिटर्न दाखिल करने से छूट

बिहार में अब पेट्रोल पंप व्यवसायियों को वैट रिटर्न नहीं दाखिल करना होगा। बिहार सरकार ने वैट कानून में संशोधन करते हुए पेट्रो उत्पादों के व्यवसायियों को यह राहत दी है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त व वाणिज्य - कर मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल, राज्य में डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस व एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट की देयता इनकी प्रथम बिक्री यानी तेल कंपनियों पर ही बनती है। इस कारण पेट्रोल-डीजल पंप वालों से वैट नहीं लिया जाता है। फिर भी पेट्रोल पंप व्यवसायियों को वैट अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना होता है। ऐसे में बिहार के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि सरकार से लगातार यह अनुरोध करते रहे हैं कि जब वैट का भुगतान नहीं करना है तो रिटर्न दाखिल करने की झंझट से भी छुटकारा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

**( साभार : दैनिक जागरण, 04.7.2024 )**

## आईटी कंपनी पाटलिपुत्र में करेगी400 करोड़ निवेश

पटना में आईटी क्षेत्र की डाटा सेंटर कंपनी सीटीआरएलएस अपनी दूसरी इकाई शुरू करेगी । पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में जल्द ही पटना डीसी-2 के भवन का शिलान्यास होगा। इससे आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि कंपनी द्वारा 400 करोड़ के प्रत्यक्ष व लगभग 4000 करोड़ के अप्रत्यक्ष निवेश की संभावना है। उद्योग विभाग और बियाडा ने इस पर सहमति दे दी है। राजधानी में अभी कंपनी की एक इकाई किराए के भवन में चल रही है। दूसरी इकाई के शिलान्यास से पहले कंपनी के सीनियर मैनेजर अतिशी सप्रू व उपाध्यक्ष रजत ने मंत्री से मुलाकात की। पाटलिपुत्रा में कंपनी का अपना औद्योगिक भवन होगा। पटना डीसी-2 का भवन एक एकड़ में होगा। यहां करीब 1300 रैक के अंतर्गत 13 एमडब्ल्यू क्षमता के डेटा का संग्रहण किया जा सकेगा। आने वाले समय में सीटीआरएलएस के इस डेटासेंटर से आईटी सेक्टर की प्रमुख कम्पनियां भी बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगी।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2024 )**

## सिडबी छोटे कारोबारियों को डाकियों के जरिये कर्ज देगा

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी में जल्द ही डाकिया नेटवर्क के माध्यम से छोटे कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराना शुरू कर सकता है।

नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई ग्रोथ समिट में सिडबी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुदत्त मंडल ने कहा, इस पहल का मकसद डाकिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सूक्ष्म स्तर के उद्यमियों को धन मुहैया कराना है। डाकिया हमारे सहभागी होंगे, जिन्हें इन छोटे उद्यमियों की ओर से जमीनी स्तर पर ऋण के प्रस्ताव मिलेंगे। मंडल ने आगे कहा कि वे ऋण की. निगरानी और संग्रह का भी काम करेंगे। उन्होंने कहा, 'यह पहल अगले महीने से शुरू हो सकती है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ऋण दायित्वों के कारण हम सीधे कर्ज नहीं दे सकते । इसलिए कर्ज देने के लिए हम सिडबी का सहारा ले रहे हैं। आरबीआई से मंजूरी अभी लंबित है।'

आईपीपीबी की सेवाएं देश के 1,36,000 डाकघरों में उपलब्ध है जिनमें से 1,20,000 डाकघर ग्रामीण इलाकों में हैं। **( साभार : हिन्दुस्तान, 12.7.2024 )**

(Source : T.o.I. (P), 13.7.2024)

## एसइजेड बनेगा बक्सर का नावानगर व चंपारण का कुमारबाग

**केंद्र सरकार से मिली मंजूरी,**
**बिहार में अभी नहीं है एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन**

**बिहार में उद्योगों का जाल बढ़ेगा :** केंद्र सरकार ने बिहार में दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने पर अपनी सहमति दे दी है. इसके लिए केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की टीम ने पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर का निरीक्षण किया है और इसे एसईजेड के लिए उपयुक्त पाया है. उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने प्रभात खबर से इसकी जानकारी साझा की. उद्योग मंत्री ने कहा कि यह बिहार के सुखद हैं. उन्होंने अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया एक्स पर भी किया. उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल एक भी एसईजेड नहीं है. जबकि दूसरे कई राज्यों में एक से अधिक है. इस संबंध में केंद्र सरकार का यह मानना कि बिहार में कुमारबाग और नावानगर इसके लिए उपयुक्त है, खुशी की बात है. उद्योग मंत्री ने बताया कि बिहार में लंबे समय से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मांग होती रही है. इसी संदर्भ में उन्होंने पिछले महीने 20 जून को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर बिहार में एक भी एसईजेड नहीं है. उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने का आग्रह किया था. इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग मंत्री को बताया कि पिछले 26 एवं 27 जून को कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में साइट का निरीक्षण फाल्टा एसइजेड द्वारा कराया गया है. इसमें दोनों ही स्थानों को इसके विकास के अनुकूल पाया गया.

**यह होगा लाभ :** • बिहार में एक नया औद्योगिक निवेश का माहौल बनेगा • देश-विदेश की बड़ी औद्योगिक इकाइयां बिहार में निवेश के लिए आयेंगी और रोजगार बढ़ेगा • निर्यात को लेकर आयी यूनिट को 15 साल कर में रियायत • सेज में आयी यूनिट के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी • डोमेस्टिक उत्पादों को नहीं देनी होगी कस्टम डयूटी • घरेलू बाजार से पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल व उपयोगी कलपुर्जों आदि की खरीद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट • निर्यात बिलों की वार्षिक वसूली नहीं होने पर 5% तक राइट-ऑफ करने की अनुमति • एसइजेड इकाइयों को भूखंडों के पट्टे-लाइसेंस पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट

"अंतिम निर्णय लेने में अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं. इसमें बियाडा द्वारा भूमि आदि से संबंधित कागजात उपलब्ध कराया जायेगा. आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बोर्ड ऑफ अप्रूवल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। **– नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री**

**( साभार : प्रभात खबर, 7.7.2024 )**

## एमएसएमई के भुगतान नियमों में बदलाव होगा

सरकार बड़ी कंपनियों को अन्य स्रोतों की ओर देखने से रोकने के लिए वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के 45 दिन के भीतर एमएसएमई को भुगतान करने की आवश्यकता में ढील दे सकती है।

सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसकी घोषणा बजट में की जा सकती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में देश में एमएसएमई के समक्ष विलंबित भुगतान की चुनौती के समाधान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 43बी के अंतर्गत एक नया खंड जोड़ा था। इसके अनुसार, यदि कोई बड़ी कंपनी किसी एमएसएमई को समय पर (लिखित समझौतों के मामले में 45 दिन के भीतर) भुगतान नहीं करती है तो वह उस व्यय को अपनी कर योग्य आय से नहीं घटा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से कर अधिक हो सकता है।

सूत्रों ने बताया कि बजट पूर्व विचार-विमर्श के दौरान सूक्ष्म, लघु व मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 43बी (एच) में बदलाव के संबंध में दिए गए सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 10.7.2024 )**

## एसबीआई से लोन लेना महंगा, ब्याज दरें बढ़ीं

एसबीआई ने कर्ज की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक ने 15.7.2024 को बताया कि उसके इंटर्नल बेंचमार्क मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) को 5 से 10 आधार अंक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इस बेंचमार्क से जुड़े सभी तरह के कर्ज और उसकी ईएमआई भी बढ़ गई हैं। यानी पर्सनल लोन, होम लोन और ऑटो लोन महंगे होंगे। एमसीएलआर वह न्यूनतम कर्ज की दर है, जिसके नीचे बैंक को कर्ज देने की अनुमति नहीं है।

एसबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 साल के लोन पर एमसीएलआर 8.85% हो गया। 3 महीने के लोन पर एमसीएलआर 8.4% 6 महीने पर 8.75% और 2 साल के लोन पर एमसीएलआर बढ़कर 8.95% हो गया है। **( साभार : दैनिक भास्कर, 16.7.2024 )**

## हर बैंक को कटे-फटे नोट बदलने होंगे नहीं तो सख्त कार्रवाई

सार्वजनिक व प्राइवेट बैंकों में कटे-फटे नोट बदलने का प्रावधान है, लेकिन बैंककर्मी सीधे इन्कार कर देते हैं. इससे आम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन अब रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार कोई भी बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इन्कार नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर बैंक पर कड़ी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगेगा. बैंक को इसके लिए नोटिस बोर्ड लगाना अनिवार्य है.

बैंक के अधिकारियों की मानें, तो अगर कोई बैंक नोट नहीं बदलता है, तो उसकी शिकायत रिजर्व बैंक में की जा सकती है। 10 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी कटे-फटे नोट को बैंक में बदला जा सकता है. बशर्ते उस नोट का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा मौजूद हो और नोट का पहचान नंबर साफ दिखाई दे रहा हो। **( साभार : प्रभात खबर, 9.7.2024 )**

## बैंकों की मनमानी को लेकर शिकायतें ज्यादा कार्रवाई कम

बैंकों के कामकाज को लेकर देशभर में शिकायतें बढ़ी हैं। ग्राहक जिन मामलों को लेकर शिकायत कर रहे हैं, उनमें क्रेडिट कार्ड, बैंक गारंटी पत्र, गोपनीयता, मृत्यु के बाद दावों का समय पर निस्तारण न होने और बैंक कर्मियों के व्यवहार से संबंधित हैं। इन शिकायतों का समय पर निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है। इसके चलते आरबीआई ने दिसंबर 2023 से मई 2024 तक बैंकों पर 22.83 करोड़ रुपया का जुर्माना भी लगाया है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2024 के बीच बैंकों के कामकाज और उनकी सेवाओं को लेकर ग्राहकों की 74,584 शिकायतें मिली हैं। जबकि इससे पिछली तिमाही में 72, 847 शिकायतें आई थीं यानी करीब पौने दो हजार शिकायतें बढ़ गई।

इस साल की मार्च तिमाही में क्रेडिट कार्ड को लेकर 10,145 शिकायतें मिली जबकि उससे पिछली तिमाही में 9635 शिकायतें मिली थीं।

ग्राहक क्रेडिट कार्ड में ब्याज दर बढ़ाकर लगाने या जुर्माने को लेकर ज्यादा परेशान हैं। मार्च तिमाही में 24, 121 शिकायतें मिली हैं, जो उससे पहले की तिमाही में 18, 180 रही थीं। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.7.2024 )**

## थोक पैक वाली वस्तुओं पर लेबलिंग अनिवार्य होगी

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसमें खुदरा बाजार में बेची जाने वाली 25 किलोग्राम से अधिक वजन या 25 लीटर से अधिक माप वाली पैक की गई वस्तुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

इस कदम का उद्देश्य उस खामी को दूर करना है, जिसके तहत वर्तमान में ऐसी थोक पैकिंग पर अधिकतम खुदरा मूल्य, समाप्ति तिथि, निर्माता की जानकारी और मूल देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने से छूट दी जाती है। देखा गया है कि 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाली पैकेज्ड वस्तुएं भी खुदरा बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को खुदरा बिक्री के लिए सभी पूर्व-पैकेज्ड सामानों पर व्यापक लेबलिंग करनी आवश्यक होगा, चाहे उनकी मात्रा कितनी भी हो। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रस्ताव पर 29 जुलाई तक टिप्पणियां मांगी है। **( साभार : हिन्दुस्तान, 15.7.2024 )**

## मखाना, सिल्क, खाजा, अगरबत्ती और अदौरी की विदेशों में हो रही मार्केटिंग

डाक विभाग के जरिए ग्रामीण स्तर पर बनने वाले उत्पादों की विदेशों में मार्केटिंग की जा रही है। डाक निर्यात केंद्र की सहायता से राज्य के उत्पादों की मार्केटिंग हो रही है। बीते तीन महीनों में 13000 पैकेट बाहर भेजे जा चुके हैं। डाक विभाग के चीफ पी.एम.जी. अनिल कुमार ने बताया कि छोटे उद्यमियों के उत्पाद को बाजार देने के लिए डाक निर्यात केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके जरिए गृहिणी, कलाकार, वास्तुकार, मिस्त्री, कामगार को बिजनेस का मौका मिल रहा है। अबतक राज्य में 46 नए निर्यात केंद्र बनाए जा चुके हैं। अगले महीने तक 99 डाकु निर्यात केंद्र खोल दिए जाएंगे। छोटे उद्यमियों को केंद्र से जोड़ने के लिए विभाग कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इसमें निर्यात केंद्र की खूबियों को बताया जा रहा है।

**विदेशों में सामान भेजने पर जीएसटी नहीं :** डाक निर्यात केंद्र से विदेशों में सामान भेजने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीएसटी नहीं लगता है। अगर जीएसटी लग गया है तो रिटर्न किया जाएगा। इसके साथ ही डाक विभाग द्वारा सभी उद्यमियों का खाता भी खोला जाता है। इससे विदेशों में सामान भेजने पर पैसा मिलना आसान होता है।

**पटना से सबसे अधिक सामान भेजे जा रहे :** मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि विदेशों में सामान भेजने में पटना सबसे आगे है। इसके बाद नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, अररिया और किशनगंज जिले हैं। यहां से पापड़, दनौरी, अदौरी, मखाना, सिल्क, सिल्क कतरन, खादी, बांस से बने सामान, जूट, लीची प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, खाजा, अगरबत्ती सबसे अधिक भेजे जा रहे हैं। **( साभार : दैनिक भास्कर, 17.7.2024 )**

## स्टील, एल्युमिनियम के बर्तनों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य

सरकार ने रसोईघर में प्रयोग वोने वाले स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के पकाने-परोसने के बर्तनों की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से बर्तन विनिर्माताओं पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है। इस तरह बर्तनों पर आईएसआई की मुहर अनिवार्य कर दी गयी है और इसका उल्लंघन करना दंडनीय बना दिया गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 14 मार्च, 2024 को जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार ऐसे बर्तनों पर आईएसआई चिह्न अनिवार्य कर दिया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका अनुपालन न करना दंडनीय है।

बीआईएस ने आवश्यक रसोई वस्तुओं को शामिल करने वाले मानकों की एक सूची बनायी है। इन मानकों को प्रस्तुत करके बीआईएस का उद्देश्य बेहतर उत्पाद प्रदर्शन और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़वा देते हुये व्यंजनों की सांस्कृतिक विविधता को बनाये रखना है। **( विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 6.7.2024 )**

## होटल सहित 1500 करोड़ के 28 निवेश प्रस्ताव मंजूर

सूबे में 1500 करोड़ के 28 निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने स्वीकृति (फर्स्ट क्लीयरेंस) दी है। इसमें पटना के लोदीपुर में 213 करोड़ रुपये के होटल और सारण के एकमा में 700 करोड़ के निवेश से 1500 बेडों का अस्पताल निर्माण शामिल है। विकास आयुक्त चौतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक हुई। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें अंबुजा निओटिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पटना में ताज सिटी सेंटर होटल पर 213 करोड़ का निवेश शामिल है। इस होटल की स्थापना पर्यटन नीति के तहत की जा रही है। इसके अलावा पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में आईटी एंड आईटी इनेबल्ड क्षेत्र की एक कंपनी 232 करोड़ का निवेश करने जा रही है। निवेश के अन्य अहम प्रस्तावों में वैशाली के चक चमेली, सराय में लॉजिस्टिक सेक्टर में 154.7 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गयी है। यहां लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाया जाना है। इसी तरह पालीगंज में 100 सीटों का एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है।

बिहार निवेश नीति के तहत सर्वाधिक नौ प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में 89.61 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं। इसके अलावा राइस मिल में 39.66 करोड़ के नौ निवेश प्रस्ताव, को हरी झंडी दी गयी है। इस बैठक में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक और उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित मौजूद रहे। **( साभार : हिन्दुस्तान, 5.7.2024 )**

## हेरिटेज भवन को होटल बनाने पर राज्य सरकार देगी अनुदान

सरकार ने बिहार पर्यटन नीति गाइडलाइन 2024 जारी कर दी है। इस नीति का लाभ फोर स्टार या उससे ऊपर के होटल को मिलेगा। नए प्रोजेक्ट के साथ ही पुराने प्रोजेक्ट की मरम्मत या सौंदर्यीकरण कराने वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

विरासत भवन को भी होटल में तब्दील करने पर सरकार मदद करेगी। गाइडलाइन में पर्यटन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं, प्रोजेक्ट आदि की जानकारी दी गई है। पिछले वर्ष कैबिनेट ने पर्यटन नीति को मंजूरी दी थी ।

गाइडलाइन जारी होने की तिथि के बाद से इस नीति के तहत आवेदन करने वाले को इसका लाभ मिलेगा। उस प्रोजेक्ट को लाभ मिलेगा, जिनके प्रोजेक्ट को एसआईपीबी की बैठक में प्रथम चरण की मंजूरी मिल चुकी है। पुराने भवन या हेरिटेज भवन को भी होटल में तब्दील करने पर इस नीति का लाभ दिया जाएगा। किला, 1950 से पहले बने महल, हवेली, लॉज या अन्य आवासीय स्थल आदि को इसमें शामिल किया गया है। ऐसे भवन को होटल में तबदील करने के लिए भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी का प्रमाण-पत्र लेना होगा।

**अनुदान भी मिलेगा :** कुल 18 तरह के प्रोजेक्ट को इस नीति के तहत फायदा होगा। इन प्रोजेक्ट को सरकार की ओर से अनुदान सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी। नीति के तहत 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 3 करोड़ और 50 करोड़ से ऊपर से प्रोजेक्ट पर 25 फीसदी या अधिकतम 25 करोड़ का अनुदान मिलेगा।

**यह है जरूरी :** • इस नीति का लाभ लेने के लिए नए होटल प्रोजेक्ट की लागत 10 करोड़ रुपये से ज्यादा होनी चाहिए • मरम्मत मूल्य ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिए। पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी होनी चाहिए • होटल के पास केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत फोर स्टार सर्टिफिकेट होना चाहिए • ढाई एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बना हुआ हो। 350 वर्गफीट से ज्यादा क्षेत्रफल के कम से कम 20 कमरे हों • 650 वर्गफीट से ज्यादा में बना हुआ स्वीमिंग पुल हो । नदी, झील, पहाड़, जंगल, जलप्रपात या अन्य पर्यटन स्थलों के पास बने होटल या रिसोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी।

**ये प्रोजेक्ट किए गए शामिल :** • नया फोर स्टार होटल, रिसोर्ट • फोर स्टार और ऊपर के होटल का सौंदर्यीकरण • कन्वेंशन सेंटर (माइस) • सड़क किनारे पर्यटकीय सुविधा • सड़क किनारे पर्यटकीय सुविधा को अपग्रेड करना • स्थायी टेंट सुविधा • एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट • इको टूरिज्म प्रोजेक्ट • वेलनेस टूरिज्म प्रोजेक्ट • नदी, झील, जलप्रपात प्रोजेक्ट • थीम पार्क • एम्युजमेंट पार्क • इंटरटेनमेंट जोन • गोल्फ कोर्स यूनिट • कार्वान टूरिज्म • टूरिस्ट बस और वैन • थीम आधारित रेस्टोरेंट • ग्रामीण पर्यटन प्रोजेक्ट, पर्यटन गाँव आदि। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 10.07.2024 )**

**बिहार सरकार**

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**गेहूँ के स्टॉक सीमा के निर्धारण के संबंध में।**

**प्रेस विज्ञप्ति**

भारत सरकार के राजपत्र संख्या-का0आ0 2428 (अं) दिनांक 24.06.2024 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (10) की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट खाद्य पदार्थो पर लाईसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2024 लागू किया गया है। उक्त संशोधन आदेश के आलोक में बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-3125 दिनांक - 28.06.2024 के द्वारा गेहूँ के स्टॉक सीमा राजपत्र निर्गत होने की तिथि से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए संसूचित की गई है जो निम्नवत है :-

(1) व्यापारिक / थोक विक्रेता - 3000 टन ।

(2) रिटेल - प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन ।

(3) बिग चेन रिटेलर - प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपुओं पर 3000 टन ।

(4) प्रोसेसर्स - मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महिनों से गुणा के बराबर ।

अत: बिहार राज्य के सभी जिला अंतर्गत गेहूँ से संबंधित विधिक ईकाईयों यथा- थोक / खुदरा / बिग चेन रिटेलर / प्रोसेसर्स व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login पर उनके द्वारा धारित स्टॉक की स्थिति की घोषणा एवं उक्त पोर्टल पर उक्त का अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यदि गेहूँ से संबंधित किसी भी विधिक ईकाई यथा-थोक / खुदरा / बिग चेन रिटेलर / प्रोसेसर्स द्वारा अब तक उक्त पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया गया है तो अनिवार्य रूप से उनका निबंधन कराते हुए उनके स्टॉक की प्रविष्टि उक्त पोर्टल पर साप्ताहिक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**सरकार के सचिव**

**( साभार : दैनिक जागरण, 6.7.2024 )**

**बिहार सरकार**

**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**दलहन ( तूर और चना काबुली चना सहित ) की स्टॉक सीमा के निर्धारण के संबंध में।**

**प्रेस विज्ञप्ति**

भारत सरकार के राजपत्र संख्या - का0आ0 2403 (अ) दिनांक-21.06.2024 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (10) की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाईसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (प्रथम संशोधन) आदेश, 2024 लागू किया गया है। उक्त संशोधन आदेश के आलोक में बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक--3126 दिनांक - 28.06.2024 के द्वारा दलहन नामत: तूर और चना, काबुली चना सहित, की स्टॉक सीमा राजपत्र निर्गत होने की तिथि से 30.09.2024 तक की अवधि के लिए संसूचित की गई है, जो निम्नवत है:-

- थोक विक्रेता : प्रत्येक दाल के लिए 200 मीट्रिक टन ।
- खुदरा विक्रेता : प्रत्येक दाल के लिए 5 मीट्रिक टन ।
- बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता (बिग चौन रिटेलर्स)- प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन।
- मिलर : स्टॉक सीमा विगत 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25%, इनमें से जो अधिक हो, होगी ।
- आयातक : आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 45 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा।

अत: बिहार राज्य के सभी जिला अंतर्गत दलहन नामत : तूर और चना काबुली चना सहित, से संबंधित विधिक ईकाईयों यथा- थोक / खुदरा / बिग चेन रिटेलर / मिलर / आयातक व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल fcainfoweb.nic.in@psp पर उनके द्वारा धारित स्टॉक की स्थिति की घोषणा एवं उक्त पोर्टल पर उक्त का अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यदि दलहन से संबंधित किसी भी विधिक ईकाई यथा- थोक / खुदरा / बिग चेन रिटेलर / मिलर / आयातक द्वारा अब तक उक्त पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया गया है तो. अनिवार्य रूप से उनका निबंधन कराते हुए उनके स्टॉक की प्रविष्टि उक्त पोर्टल पर साप्ताहिक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**सरकार के सचिव**

**( साभार : दैनिक जागरण, 6.7.2024 )**

# RBI PROPOSES RULES ON EXPORT-IMPORT TRANSACTIONS

The Reserve Bank of India (RBI) on 2.7.2024 proposed rationalising regulations that cover export and import transactions with an aim to promote ease of doing business and empower banks to provide more efficient service to their foreign exchange customers. The central bank has issued 'Regulation of Foreign Trade under Foreign Exchange Management Act (Fema), 1999, Draft Regulations and Directions' in this regard.

As per the draft, every exporter should furnish to the specified authority a declaration specifying the amount representing the full export value of the goods or services.

"The amount representing the full export value of goods and services shall be realised and repatriated to India within nine months from the date of shipment for goods and date of invoice for services," it said.

The draft also proposes that an exporter who has not

realised the full value of export within the time specified may be caution listed by the authorised dealer.

An exporter who has been caution listed can undertake export only against receipt of advance payment in full or against an irrecoverable letter of credit, to the satisfaction of the authorised dealer.

According to the draft, no advance remittance for the import of gold and silver should be permitted unless specifically approved by the Reserve Bank of India.

The RBI said the proposed regulations are intended to promote ease of doing business, especially for small exporters and importers.

They are also intended to empower Authorised Dealer banks to provide quicker and more efficient service to their foreign exchange customers, the central bank said.

The RBI has sought comments on the draft regulations under Fema and directions to authorised dealer banks by September 1. **(Source : H.T., 3.7.2024)**

## छह शहरों में 400 इ-बसों की सेवाएं मिलेंगी एक हजार करोड़ होंगे खर्च

बिहार के मुख्य शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम इ - बस सेवा की सुविधा नागरिकों को मिलेगी। इन शहरों में परिवहन को सरल बनाने के लिए सरकार ने 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की राशि स्वीकृत की है। इसके लिए 1032.81 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 54 एजेंडों को स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने इसके साथ ही राज्य के आम नागरिकों को अंतरक्षेत्रीय और अंतरराज्यीय रूटों पर अधिक से अधिक यात्रियों को परिवहन व्यवस्था को मंजूरी दी गयी. इसके लिए बिहार राज्य परिवहन निगम के लिए नयी बसों की खरीद की जा रही है। नयी बसों की खरीद होने के बाद 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 30 हजार व्यक्तियों को प्रतिदिन आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा और बेहतर यात्री सुविधा के साथ शहरों को जाम मुक्त बनाने के लिए राज्य के विभिन्न प्रमंडलों और जिला मुख्यालयों में ऑटो रिक्शा और इ-रिक्शा रेगुलेट करने की योजना की स्वीकृति दी गयी. इस नीति के लागू होने से राज्य के शहरों में ऑटो रिक्शा और इ-रिक्शा का व्यवस्थित परिचालन होगा। इससे जाम की समस्या का निदान, प्रदूषण में कमी, यात्रियों की सुरक्षित यात्रा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और पार्किंग स्थल या ठहराव स्थल का निर्धारण होगा। **( साभार : प्रभात खबर, 13.7.2024 )**

## बिहार की नदियों को सूखने से बचाने की कार्ययोजना तैयार

राज्य की नदियों को सूखने से बचाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। जल संसाधन विभाग ने नदियों के सूखने की गंभीर समस्या से लड़ने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। विशेषज्ञों व इंजीनियरों की पहल पर बनी इस योजना के कार्यान्वयन के बाद माना जा रहा है कि सूबे की नदियां जल संकट से नहीं जूझेंगी और न ही गर्मी के मौसम में सूखेंगी।

**क्या है योजना :** दक्षिण बिहार की नदियों में मानसून अवधि में प्राप्त अधिशेष जल को चौक डैम और वीयर बनाकर संचित किया जाएगा। इससे मानसून अवधि में बाढ़ का खतरा कम होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण भी हो जाएगा। गर्मी के समय इस पानी का उपयोग नदियों को सूखे से बचाने के लिए किया जाएगा। उनमें जरूरत के हिसाब से पानी की आपूर्ति की जाएगी।

उत्तर बिहार की नदियों के किनारे पोखर-तालाब और कुंओं का निर्माण किया जाएगा। इनमें मानसून अवधि में पानी का संचय होगा। यही नहीं छोटे-छोटे जल संग्रह केन्द्र होने से भूजल की स्थिति बेहतर होगी। इससे गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत नहीं होगी। यह नदियों को सूखने से बचाने में कारगर साबित होगा ।

**क्या होगा लाभ :** इस योजना का दोहरा लाभ होगा। एक तो नदियों में जल संकट की स्थिति नहीं होगी, दूसरा भूजल स्तर बना रहेगा। जलस्रोतों की अधिकता से नदियों का अधिशेष पानी बेकार नहीं होगा। वे नदियों के पास ही संचित रहेंगे और छोटे-छोटे जलाशय के रूप में काम करेंगे।

"सूबे में हर साल बड़ी संख्या में नदियां सूखती हैं। हम इस समस्या पर बेहद गंभीर हैं। कई स्तरों पर प्रयास किया है। हम आगे भी व्यापक कार्ययोजना बनाकर काम करेंगे।" **– विजय कुमार चौधरी,** जल संसाधन मंत्री

**( साभार : हिन्दुस्तान, 11.7.2024 )**

## सभी थानों में बना महिला हेल्प डेस्क, नंबर भी जारी

**थानों में महिला अधिकारी ही सुनेंगी महिलाओं व बच्चियों की समस्याएं**

| थाना | मोबाइल नंबर | थाना | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|
| कोतवाली | 9471495881 | श्रीकृष्णापुरी | 8544267220 |
| बुद्धा कॉलोनी | 7050861458 | पीरबहोर | 8084089552 |
| दीघा | 7277005586 | कदमकुआं | 7827818585 |
| पाटलिपुत्र | 7209727822 | गांधी मैदान | 7667304655 |
| राजीव नगर | 9031030478 | सुल्तानगंज | 9942662821 |
| सचिवालय | 9942648135 | कंकड़बाग | 9942645227 |
| गर्दनीबाग | 9942660709 | पत्रकारनगर | 9942631054 |
| हवाई अड्डा | 7258052520 | जक्कनपुर | 7091003696 |
| महिला थाना | 9470001390 | बाईपास | 9470487631 |
| एससी/एसटी | 9431842065 | रामकृष्णा नगर | 7033384607 |
| शास्त्रीनगर | 9142353951 | फुलवारीशरीफ | 7209535155 |

**( साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2024 )**

## एलपीजी सिलेंडर के लिए केवाईसी के लिए कोई समय सीमा नहीं

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी के लिए कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियां एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण कर रही हैं। यह कदम फर्जी खातों की पहचान कर उनको बंद करने के लिए उठाया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप ने इंटरनेट मीडिया के जरिये केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन के पत्र के जवाब में यह बात कही। सतीसन ने लिखे पत्र में इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि मौजूदा व्यवस्था में एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी में जाकर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। **( साभार : दैनिक जागरण, 10.7.2024 )**

## बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ का होगा विस्तार

बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गयी । बिहटा ख एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए हार्डिंग पार्क की जमीन के बदले रेलवे राज्य सरकार को पटना सिटी स्थित पटना घाट और दानापुर स्टेशन के पास की जमीन देगा। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.7.2024 )**

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296